FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिनेश बनाम् भूमिधारी तहसीलदार

किस्म मुकदमाः– प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मुकदमा नम्बरः– 75/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये
17.10.2019	प्रार्थी की ओर से श्री कमल किशोर वर्मा एड0 ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी पेश किया। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी दर्ज रजिस्टर की जावें। अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की जावें। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने तामील दिनांक 21.10.2019 को पेश हो।	
21-10-19	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी को नोटिस तामील होकर लौटी है। जो शामिल पत्रावली की गई। वास्ते आदेश तामील पत्रावली दिनांक 23-10-19 को पेश हो। PO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।	
23-10-19	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की तामील असालतन होकर लौटी है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आये है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 31-10-19 को पेश हो।	
31.10.2019	पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व में अमल में लाई जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने का निवेदन	

किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रकरण का अवलोकन

Scanned by CamScanner

दिनेश सिंह वगै० बनाम भूमिधारी तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी मु०नं० 75/19
	किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1616 से 1618, 1621, 1622/2062 कुल किता 5 कुल रकबा 3.44 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 18.07.2019 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का कल्याणपुरा के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थी ने अपनी उक्त भूमि का मौके पर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 18.07.2019 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाये जाने का निवेदन किया है।
	वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत सहमति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूँ।
	वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का कल्याणपुरा द्वारा दिनांक 18.07.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 1616 से 1618, 1621, 1622/2062 कुल किता 5 कुल रकबा 3.44 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम सुराणी पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने

Scanned by CamScanner

दिनेश सिंह वगैरह बनाम भूमिकारी तहसीलदार

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी केस नं. 75/19	
	हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/– रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/– रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/–रूपये कुल 2100/– रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का कल्याणपुरा द्वारा दिनांक 18.07.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तक़मील दाखिल दफतर हो।	3509/RA 31/10/19
	यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 31.10.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	
	(लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	